संख्या ए 12034/12/2017-डीआर
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
(औषधि विनियमन अनुभाग)

****

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 9th मार्च, 2020

सूचना

यह मंत्रालय, केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, हैदराबाद केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपनिदेशक के पद के भर्ती नियम बनाने के एक प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में प्रारूप भर्ती नियम तैयार किए गए हैं जिसकी एक प्रति संलग्न है।

2. भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने तथा इन्हें तैयार करने का प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग और अन्य एजेंसियों से उठाने से पहले इस मामले में सभी हितधारकों से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर टिप्पणियां, यदि कोई हो, आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से निर्धारित अवधि के अंदर प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियो/सुझावों पर भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पहले नियमों/ आवश्यकताओं के अनुसार विचार मंत्रालय द्वारा किया जायेगा।

3. टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या 414-ए, डी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011 के पते पर भेजी जा सकती हैं और साफ्ट कापी drugsdiv-mohfw@gov.in पर ।

संलग्नक: यथोपरि

(आर.जी. सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन संख्या 23063019

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
उप निदेशक	01 * (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय)	लेवल-12	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पणी 1 : केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय । टिप्पणी 2 : आयु सीमा का निर्धारण भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को आधार मानकर किया जायेगा। (न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और जम्मू और कश्मीर राज्य के लदाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग, अंडमान एवं निकोबार	अनिवार्य : रसायन परीक्षण विधा से, विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान अथवा फार्मेसी अथवा फर्माकोलोजी में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा जैविकीय परीक्षण विधा से, विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से औषधी या सूक्ष्मजीव विज्ञान या फार्माकोलोजी या जैव प्रोद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री। **अनुभव**

					द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख को) ।	औषधि परीक्षण एवं और मानकीकरण तथा अनुसंधान में 8 वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। टिप्पणी 2 : यदि संघ लोक सेवा आयोग की राय में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना न हो तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	**(9)**	**(10)**
आयु - नहीं शैक्षिक अर्हता - नहीं	सीधी भर्ती हेतु एक वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने की किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	**(12)**	**(13)**
लागू नहीं	समूह ‘क’ विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) में निम्नलिखित शामिल हैं। 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 2. औषधि नियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक है।